प्रस्तावना

राईट ऑनरेबल एलेक्स साल्मंड MSP MP
फ़र्स्ट मिनिस्टर ऑफ़ स्कॉटलैंड

स्कॉटिश गवर्नमेंट में हम स्कॉटलैंड के भविष्य के लिए महत्त्वाकांक्षी हैं। हमारा यह भी विश्वास है कि हमारे देश में प्रभुसत्ता इसके लोगों के पास है। प्रभुसत्ता-संपन्न लोगों के रूप में स्कॉटलैंड के लोगों को – और केवल हमें – यह निर्णय लेने का अधिकार है कि हम पर साशन कैसे किया जाए।

यही कारण है कि इस वर्ष स्कॉटिश पार्लियामेंटरी चुनावों के लिए हमारे चुनाव घोषणा पत्र में इस पार्लियामेंट के दौरान एक रेफ़रेंडम में लोगों को स्कॉटिश स्वतंत्रता की धारणा पर विचार करने का एक अवसर देने का वादा किया गया है।

उस चुनाव में, लोगों ने स्पष्ट रूप से स्कॉटलैंड में स्वयं को शासित करने के ढंग को आगे और विकसित करने के लिए मतदान किया। गवर्नमेंट में, हमारा विश्वास है कि स्वतंत्रता हमारे देश के लिए सबसे सही होगी। दूसरे लोग ज़िम्मेदारियों का ज़्यादा हस्तांतरण, या करों और ख़र्च के लिए अधिक ज़िम्मेदारी, या संघवाद का समर्थन करते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों के बीच जो भी मतभेद हों, चुनाव का संदेश स्पष्ट था – स्कॉटलैंड की संवैधानिक स्थिती को आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए।

नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स में हाल ही में ऐतिहासिक संवैधानिक परिवर्तन भी हुए हैं, जिनमें गवर्नमेंट में नई पार्टियाँ आई हैं और नई ज़िम्मेदारियाँ हस्तांतरित की गई हैं। यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने ब्रिटेन के प्रशासन पर अब एक चर्चा पत्र प्रकाशित किया है।

स्कॉटलैंड के फ़र्स्ट मिनिस्टर के रूप में, संवैधानिक परिवर्तन के लिए विकल्पों पर खोज करना और चर्चा का नेतृत्व करना मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं अधिकारों के सपुर्दगी हासिल करने के बाद स्कॉटलैंड में निर्वाचित की जाने वाली पहली स्कॉटिश नैशनल पार्टी गवर्नमेंट का नेतृतव करता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्रता, इसके लाभों और अवसरों के लिए तर्क प्रस्तुत करूँगा। लेकिन, मैं यह भी मानता हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे दूसरे विचार भी हैं, और पार्लियामेंट में उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है।

स्कॉटलैंड की यूनाइटेड किंगडम के अन्य राष्ट्रों के साथ लंबे समय से चलती आ रही एकता, 1603 की यूनियन ऑफ़ दि क्राउन्स (Union of the Crowns) और 1707 और 1801 की ऐक्ट्स ऑफ़ यूनियन (Acts of Union) पर आधारित है। आयरलैंड के साथ 1801 यूनियन (1801 Union) में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। स्कॉटलैंड में राजनीतिक बहस 1707 की राजनीतिक यूनियन से संबंधित है, जिसमें संशोधन या उसे रद्द किए जाने से भी यूनियन ऑफ़ दि क्राउन्स सुरक्षित रहेगा।

इसलिए मैं प्रस्ताव देता हूँ कि हम अपने भविष्य के बारे में राष्ट्रीय वार्तालाप करें जिससे स्कॉटलैंड के लोग गवर्नमेंट के उस प्रकार, जो भविष्य के लिए हमें सबसे अच्छा तैयार करे, पर बहस, चिंतन और फिर फ़ैसला कर सकें। यह पत्र उस वार्तालाप के लिए शुरुआती बिंदु और प्रेरणा के उद्देश्य से है। इसमें उन क्षेत्रों की छानबीन की गई है जिनमें स्कॉटलैंड और ज़िम्मेदारियाँ ले सकता है – जैसे कि रोज़गार, हमारा राष्ट्रीय वित्त, या सार्वजनिक सुरक्षा पर क़ानून, जैसे कि बन्दूकें – साथ ही स्वतंत्रता की धारणा, और ब्रिटेन में विस्तृत संवैधानिक परिवर्तन।

स्कॉटिश पार्लियामेंट को स्थापित करने के लिए रेफ़रेंडम के बाद अब दस साल बीत चुके हैं। हमने अपने लोगों की इच्छाओं और ज़रूरतों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने की इस देश की क्षमता देखी है। लेकिन हमने इसकी वर्तमान ज़िम्मेदारियों की सीमाएँ भी देखी हैं। मेरा विश्वास है कि अब हमारे, स्कॉटलैंड के लोगों, के लिए समय आ गया है कि हम आधुनिक विश्व में हमारे ख़ुद के भविष्य पर विचार करें और उसका चुनाव करें।

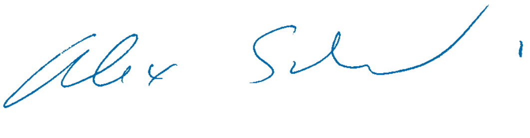

सारांश

स्कॉटलैंड ऐक्ट 1998 के अंतर्गत स्कॉटिश पार्लियामेंट की स्थापना ने स्कॉटलैंड के लोगों को स्कॉटलैंड में पहले से ही चलाए जा रहे बहुत से सरकारी क्रियाकलापों में फ़ैसलों में एक प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक अधिकार दिया। अधिकारों के हस्तांतरण की व्यवस्था में सुस्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि 1999 में स्कॉटिश पार्लियामेंट और स्कॉटिश सरकार को दी गई ज़िम्मेदारियों में परिवर्तन किया जा सकता है, और अधिकारों के आगे और हस्तांतरण को संभव बनाने के लिए अधिनियम में महत्त्वपूर्ण प्रणालियाँ शामिल की गई थी।

इस समय महत्त्वपूर्ण अधिकार यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट और यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट के पास आरक्षित हैं। इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिकारों के और ज़्यादा हस्तांतरण से स्कॉटिश पार्लियामेंट और स्कॉटिश गवर्नमेंट, स्कॉटलैंड के हित में और स्कॉटलैंड के लोगों के विचारों को प्रतिबिंबित करते हुए, इन मुद्दों पर अपने ख़ुद के फ़ैसले ले सकेंगे। कुछ क्षेत्रों में, अधिकारों के और ज़्यादा हस्तांतरण से निर्णय–प्रक्रिया में अधिक सुसंगति और नीति के प्रतिपादन के लिए लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व भी मिल सकता है।

अधिकारों के और ज़्यादा हस्तांतरण से आगे निकल कर स्वतंत्रता तक जाने में, स्कॉटलैंड के लिए क़ानून बनाने के यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट के अधिकारों, तथा स्कॉटलैंड के संबंध में कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग करने की यूनाइटेड किंगडम मिनिस्टरों की योग्यता को समाप्त करना शामिल होगा। स्कॉटलैंड ऐक्ट में बाकी के आरक्षण समाप्त हो जाएँगे, और हर जगह स्वतंत्र राज्यों की तरह स्कॉटिश पार्लियामेंट और स्कॉटिश गवर्नमेंट हर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीति के लिए ज़िम्मेदारी प्राप्त कर लेगी, लेकिन इस पर यूरोपियन यूनियन ट्रीटियों के प्रावधान और दूसरी प्राप्त की गई संधि बाध्यताएँ लागू होंगी।

यूनाइटेड किंगडम के संविधान की प्रकृति बदल रही है। वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं, और यूनाइटेड किंगडम के शासन को आगे विकसित करने लिए यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने प्रस्ताव प्रकाशित किए हैं। चाहे यूनाइटेड किंगडम में हो या स्वतंत्र, स्कॉटलैंड को हमारे पड़ोसियों के साथ मुख्य भूमिका निभाना जारी रखनी चाहिए और वर्तमान यूनाइटेड किंगडम की सरकारों के बीच तथा रिपब्लिक ऑफ़ आयरलैंड के साथ संयुक्त कार्य के लिए प्रणालियों में सुधार लाने का अवसर प्राप्त करना चाहिए।

अधिकारों के और ज़्यादा हस्तांतरण या स्वतंत्रता के लिए, संभावित तौर पर वेस्टमिन्सटर और हॉलिरूड, दोनों में क़ानून बनाने की ज़रूरत होगी। विवादित रूप से अधिकारों के और ज़्यादा हस्तांतरण के लिए, और निश्चित रूप से स्वतंत्रता के लिए, एक रेफ़रेंडम के माध्यम से स्कॉटिश लोगों की सहमति की ज़रूरत होगी। संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं होते हुए, ऐसे मतदान को स्कॉटलैंड का संवैधानिक भविष्य निर्धारित करने का सही ढंग स्वीकार किया गया है। इसलिए ऐसे मतदान के लिए क़ानून के उपयुक्त स्वरूपों पर, और इस प्रश्न पर उचित ढंग से विचार किया जाना चाहिए कि स्कॉटिश पार्लियामेंट द्वारा एक रेफ़रेंडम को कैसे शुरू किया जा सकता है।

स्कॉटिश गवर्नमेंट के विचार से तीन यथार्थवादी चुनाव मौजूद हैं। पहला, स्कॉटलैंड ऐक्ट 1998 द्वारा निश्चित की गई शक्तियों के हस्तांतरण की योजना को रखे रहना, जिसमें शक्तियों के ज़्यादा विकास की संभावना हो, और जैसा अवसर उत्पन्न हो, इन्हें व्यक्तिगत रूप से बढ़ाया जा सके। दूसरा, स्कॉटिश पार्लियामेंट और स्कॉटिश गवर्नमेंट के वर्तमान अधिकारों में विशिष्ट विस्तारों को अपना कर अधिकारों के हस्तांतरण की दोबारा रचना करना, जिसमें संभावित तौर पर वित्तीय स्वायत्तता शामिल हो, लेकिन यह संपूर्ण स्वतंत्रता की ओर प्रगति से कम हो। तीसरा, जिसका स्कॉटिश गवर्नमेंट पक्ष लेता है, स्कॉटिश पार्लियामेंट और स्कॉटिश गवर्नमेंट के अधिकारों को स्वतंत्रता के बिंदु तक बढ़ाना। इस पत्र में इन संभावनाओं के बारे में ज़्यादा विस्तार से बताया गया है।

स्कॉटलैंड के भविष्य के बारे में राष्ट्रीय वार्तालाप की विस्तृत शृंखला में यह पत्र पहला क़दम है। इस वार्तालाप से स्कॉटलैंड के लोगों को देश के भविष्य के लिए सभी विकल्पों पर विचार करने और जानकार फ़ैसले लेने में सहायता मिलेगी। यह पत्र स्कॉटलैंड के लोगों को राष्ट्रीय वार्तालाप में क्षामिल होने, और इस बारे में सुझाव देने के लिए आमंत्रित करता है कि अधिकतम संभव भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए वार्तालाप को कैसे तैयार किया जाना चाहिए।